



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47830

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 8575 वर्ष 2026

रेनू सिंह

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : सुरेंद्र कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इसमें पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तथापि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण आदेश से व्यथित अनुभव करते हैं, तो आदेश में उपांतरण/फेरबदल की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगा गया मूल अनुतोष प्रत्यर्थी संख्या 3 को, नामांतरण प्रार्थना पत्र संख्या 857 वर्ष 2021 में प्रत्यर्थी संख्या 3-नायब तहसीलदार, मुगलसराय, जिला चंदौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2024 के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दाखिल पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र संख्या 8708 वर्ष 2024 दिनांक 08.08.2024 को शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु निदेशित करना है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि पर्याप्त समय पहले ही व्यतीत हो चुका है किंतु आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को संबंधित न्यायालय को यह निदेश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि वह पूर्वोक्त पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का कड़ाई से विधि के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से तथा अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर निस्तारण करे, किंतु अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।

मार्च 9, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।